Neutral Citation No.– 2026:AHC–LKO:20289

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या– 1166/2002

नरेन्द्र सिंह एवं एक अन्य ...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – एम.एस. खान, अनिल कुमार निषाद, जगरूपन निषाद, रमेश कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :– शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति बृजराज सिंह

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एस. खान और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

यह आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 229 वर्ष 1992 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.8.2002 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास का दंड और धारा 429 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंड प्रदान किया गया है, तथा अपीलकर्ता संख्या 2 को धारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास का दंड प्रदान किया गया है और धारा 429/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास का दंड प्रदान किया गया है।

अभियोजन वाद के अनुसार, शिकायतकर्ता घेराऊ पुत्र शिव सिंह ने दिनांक 15.2.1991 को रात 8:30 बजे शिकायत दर्ज कराई जिसमें उल्लेख किया गया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से आ रहा था और उसी

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समय अभियुक्त नरेंद्र सिंह पुत्र माता पलटन सिंह और पप्पू पुत्र पदोही ने ललकारा और कहा कि शिकायतकर्ता गांव का नेता है और उसे आज छोड़ना नहीं चाहिए और उसे मार देना चाहिए। अभियुक्त नरेंद्र सिंह ने उस पर बम फेंका लेकिन वह उसे नहीं लगा, बल्कि बगल में बैठे एक कुत्ते को जा लगा। शोर सुनकर लोग घटनास्थल पर आ गए। मुकदमा अपराध संख्या 16 वर्ष 1991 के अंतर्गत धारा 307, 429 और 506 भारतीय दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना विवेचक श्री विंध्याचल गुप्ता द्वारा की गई, जिन्होंने घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया और कुत्ते का पोस्टमार्टम किया गया। साक्ष्य एकत्र करने के बाद, मुकदमा अपराध संख्या 16 वर्ष 1991 के अंतर्गत धारा 429, 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया।

मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और तत्पश्चात मामले को दिनांक 13.7.1992 को सुपुर्द कर दिया गया। दिनांक 15.12.1992 को अभियुक्त नरेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 307 और 429 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथा अभियुक्त पप्पू के विरुद्ध धारा और 429/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने अपने वाद को सिद्ध करने के लिए चार साक्षी प्रस्तुत किए, अर्थात् अभियोजन साक्षी–1 के रूप में घेराऊ सिंह पुत्र शिव सिंह, अभियोजन साक्षी–2 के रूप में श्रीमती मंतोरा पत्नी घेराऊ सिंह, अभियोजन साक्षी–3 के रूप में कांस्टेबल रामसुध यादव और अभियोजन साक्षी–4 के रूप में डॉ. अशोक कुमार यादव। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा है कि पक्षकारों के बीच आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष दलील दी है कि शिकायतकर्ता का पुत्र, अजय पाल सिंह, एक आपराधिक मामले में अभियुक्त था जिसमें अभियुक्त नरेंद्र सिंह ने उसके विरुद्ध बयान दिया था। उक्त मामले में शिकायतकर्ता के पुत्र को अभियुक्त बनाया गया था। कुछ देर बहस करने के बाद, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वह योग्यता के आधार पर अपील पर दबाव नहीं डालना चाहते। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह वर्ष 1991 से संबंधित पुराना मामला है और 35 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और इस अपील के लंबित रहने के दौरान कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और इस मामले से पूर्व अपीलकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस तथ्य का उल्लेख अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक शपथपत्र दिनांक 29.1.2026 के पैरा 3 में किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं आई, बल्कि कथित

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चोट कुत्ते को लगी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। हालांकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना है कि अपीलकर्ताओं को उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई भौतिक अनियमितता या अवैधता नहीं की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 और 361 प्रथम अपराधियों को परिवीक्षा के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। इन दोनों धाराओं को नीचे पुनरुत्पादित किया गया है: –

"360. सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश–(1) जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोषसिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है तब, यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया, ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है तो न्यायालय उसे तुरन्त कोई दंडादेश देने के बजाय निदेश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बंधपत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह (तीन वर्ष से अनधिक) इतनी अवधि के दौरान, जितनी न्यायालय निदिष्ट करे, बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा :

परन्तु जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, दोषसिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए वहां वह उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उसकी उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए जमानत लेगा और वह मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से करेगा ।

(2) जहां कोई कार्यवाही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा उपबंधित रूप में निवेदित की गई है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

वह दे सकता और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने का निदेश दे सकता है ।

(3) किसी ऐसी दशा में, जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय, जिसके समक्ष वह ऐसे दोषसिद्ध किया गया है, ठीक समझे, तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराध की तुच्छ प्रकृति को, या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया था, ध्यान में रखते हुए उसे कोई दंडादेश देने के बजाय सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।

(5) जब किसी अपराधी के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, उस दशा में जब उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, अपील किए जाने पर, या अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसे अपराधी को उसके बदले में विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है :

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस उपधारा के अधीन उस दंड से अधिक दंड न देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषसिद्ध किया गया था ।

(6) धारा 121, 124 और 373 के उपबंध इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए प्रतिभुओं के बारे में जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

(7) किसी अपराधी के उपधारा (1) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देने के पूर्व न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का, या उसके प्रतिभू का (यदि कोई हो) कोई नियत वास स्थान या नियमित उपजीविका

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उस स्थान में है जिसके संबंध में वह न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की सम्भाव्यता है, जो शर्तों के पालन के लिए उल्लिखित की गई है ।

(8) यदि उस न्यायालय का, जिसने अपराधी को दोषसिद्ध किया है, या उस न्यायालय का, जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे में कार्यवाही कर सकता था, समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहा है तो वह उसके पकड़े जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है।

(9) जब कोई अपराधी ऐसे किसी वारण्ट पर पकड़ा जाता है तब वह वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा और वह न्यायालय या तो तब तक के लिए उसे अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकता है जब तक मामले में सुनवाई न हो, या इस शर्त पर कि वह दंडादेश के लिए हाजिर होगा, पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत मंजूर कर सकता है और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात् दंडादेश दे सकता है ।

(10) इस धारा की कोई बात, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी ।

361. कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना–जहां किसी मामले में न्यायालय,–

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंधों के अधीन कर सकता था; या

(ख) किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई, बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा।"

इस विषय पर **"अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958"** के नाम से एक केन्द्रीय विधि भी है जिसका प्रासंगिक धारा निम्नवत प्रस्तुत है :–

3. कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति:– जब कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अधीन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

दण्डनीय कोई अपराध अथवा भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान रखते हुए ऐसा करना समीचीन है जब तव तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकेगा।

स्पष्टीकरण——इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के अन्तर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश भी है।

4. कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरन्त दंडित करने के बजाय, निदेश दे सकेगा कि उसे, प्रतिभुओं के सहित या उनके बिना, उसके द्वारा ऐसा बंधपत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा :

परन्तु न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निदेश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि अपराधी या उसके प्रतिभू का, यदि कोई हो, नियत निवास–स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है, जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंधपत्र देता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय, मामले के बारे में, संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है तब यदि न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के हितों में ऐसा करना समीचीन है, तो वह उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा जिसमें यह निदेश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह अपराधी सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व, वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का और निवास–स्थान मादक पदार्थों से प्रवरित या किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का, जैसी न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसी अपराध की पुनरावृत्ति को या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन करने के लिए प्रतिभूओं के सहित या बिना एक बंधपत्र दे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी, प्रतिभू, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तुरन्त पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा।

इसी विषय पर **"उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938"** नामक एक अन्य अधिनियम भी है जिसकी प्रासंगिक धाराएं 3 एवं 4 निम्नवत पुनरुत्पादित है :–

"3. कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्तिः– किसी भी मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय चोरी, बेईमानी, दुर्विनियोग या धोखाधड़ी के अपराधों का दोषी पाया जाता है, या दो वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय न होने वाले किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा उसे दोषी पाया गया है, यदि वह उचित समझे, अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और अपराध की तुच्छ प्रकृति या किसी भी शमनकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें अपराध किया गया था, उसे किसी भी दंड की सजा देने के बजाय, सम्यक भर्त्सना के बाद छोड़ सकता है। अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति।

(1) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है, यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष उसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

दोषी ठहराया गया है, अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक स्थिति और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें अपराध किया गया था, यह प्रतीत होता है कि अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना उचित है, तो न्यायालय उसे तुरंत किसी भी दंड की सजा देने के बजाय, यह निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं के साथ या बिना जमानतदारों के एक बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए, ताकि वह तीन वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान, जैसा कि न्यायालय निर्देश दे, बुलाए जाने पर उपस्थित हो सके और दंड प्राप्त कर सके और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छा व्यवहार करे:

बशर्ते कि न्यायालय इस धारा के अंतर्गत अपराधी को छोड़ देने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसके जमानतदार का उस स्थान पर निवास का एक निश्चित स्थान और नियमित व्यवसाय है जहाँ न्यायालय कार्यरत है, या जिसमें अपराधी के शर्तों के पालन के लिए निर्धारित अवधि के दौरान रहने की संभावना है:

बशर्ते यह भी है कि यदि इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, या [राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन इस संबंध में विहित किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जो छह माह से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, तो न्यायालय इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करेगा जब तक कि, लिखित में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से, वह ऐसा करना उचित न समझे।

(2) जहां उपधारा (1) के अंतर्गत रिहा किया जाने वाला अपराधी चौबीस वर्ष से कम आयु का है, न्यायालय एक पर्यवेक्षण आदेश जारी कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा अपराधी आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगा जिसका नाम आदेश में उल्लिखित हो और ऐसे पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अन्य शर्तें आरोपित की जा सकती हैं जो आदेश में निर्दिष्ट हों:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि उस तिथि से आगे नहीं बढ़ेगी जिस तिथि को, न्यायालय की राय में, अपराधी पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा।

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत आदेश देने वाला न्यायालय, अपराधी को रिहा करने से पूर्व, प्रतिभुओं के साथ या बिना प्रतिभुओं के, निवास के संबंध में शर्तों, मादक पदार्थों से परहेज और किसी भी अन्य मामलों के पालन के लिए बंधपत्र भरने की अपेक्षा करेगा, जिन्हें न्यायालय मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए उचित समझे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

(4) उपधारा (2) के अधीन आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी और प्रतिभुओं, यदि कोई हो, को लिखित में एक सूचना देगा जिसमें बंधपत्र की शर्तें सरल शब्दों में बताई जाएंगी।"

इन विधियों का परिशीलन विधि के किसी छात्र को भ्रम की स्थिति मेंला कर छोड़ देगा।

ये सभी विधियाँ एक ही विषय से संबंधित हैं और प्रथम दृष्टया एक–दूसरे का अतिक्रमण करती प्रतीत होती हैं।

गहन अवलोकन पर, यह जाना जा सकता है कि संहिता की धारा 360 मात्र उन व्यक्तियों से संबंधित है जो इक्कीस वर्ष से कम आयु के नहीं हैं और मात्र जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं, या जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई महिला मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराई जाती है, और कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है, तो उन्हें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराधी के चरित्र और उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का दायरा बहुत व्यापक है क्योंकि यह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय न होने वाले अपराध को करने के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। यदि मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 पर और गहराई से विचार करूं तो हम पाएंगे कि उपधारा (10) में यह प्रावधान किया गया है कि इस धारा की कोई भी बात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ **ने** ***'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मिसरी लाल और अन्य, 1982 क्रि. एल.जे. 1420'*** में निम्नानुसार व्यवस्था दी है :–

"26– उत्तर प्रदेश में धारा 360 के लागू होने को वर्ष 1975 के एक अध्यादेश द्वारा वापस ले लिया गया था। अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, संख्या 16 वर्ष 1976 लाया गया। इस अधिनियम को दिनांक 30–4–1975 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे दिनांक 1–5–1976 को उत्तर प्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम की धारा 12 ने अध्यादेश को निरस्त कर दिया और यह प्रतिपादित किया कि ऐसे निरसन के बावजूद, अध्यादेश के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की गई मानी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम 28 नवंबर, 1975 को लागू हुआ था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वाद का निर्णय 2–2–1976 को किया। संशोधन अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1976 की धारा 10 ने संहिता की धारा 484

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

में संशोधन किया और खंड (घ) के बाद निम्नलिखित खंड (ङ) जोड़ा गया :–

"(ङ) .... संयुक्त प्रांत प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1938...... उत्तर प्रदेश राज्य में लागू रहेगा और तदनुसार इस संहिता की धारा 360 के प्रावधान उस राज्य पर लागू नहीं होंगे और धारा 361 के प्रावधान उसमें नामित केंद्रीय अधिनियमों के संदर्भ के स्थान पर उस राज्य में लागू संबंधित अधिनियम के संदर्भ के साथ लागू होंगे। "

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 यह निर्धारित करती है कि जहाँ किसी भी मामले में न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति के साथ धारा 360 के तहत या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत, या बाल अधिनियम, 1960 के अधीन एक किशोर अपराधी या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन विचार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है, तो वह अपने निर्णय में ऐसा न करने के विशेष कारणों को दर्ज करेगा।

उपर्युक्त धारा 484 के खंड (ङ) के साथ इस प्रावधान को पढ़े जाने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि न्यायालय को उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों का लाभ न देने के विशेष कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।"

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का पालन उस भौगोलिक क्षेत्र में किया जाएगा जहाँ उसे लागू किया गया है, न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का। इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में परिवीक्षा अधिनियम का प्रवर्तन उस विशेष क्षेत्र में संहिता की धारा 360 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को अपवर्जित कर देता है, हालांकि यह न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह इस पर विचार करे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ क्यों न दिया जाए, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 361 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

सीताराम पासवान और अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2005 एससी 3534 में अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने की वांछनीयता के बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–

" विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र पर विचार करना होता है। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

गंभीरता और पीड़ित पर अपराध के प्रभाव का यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अभियुक्त को उपलब्ध लाभ प्रावधानों में निहित सीमा के अधीन है और "सकेगा" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र और मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अपराधी को रिहा करना है या नहीं, यह विवेक न्यायालय में निहित है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत शक्तियां न्यायालय में तब निहित होती हैं जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालयों द्वारा व्यक्ति को दोषी पाते समय किया जा सकता है और यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र सम्मिलित है, को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को लाभ दिया जाना चाहिए, तब इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षण चरण में और इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई के दौरान भी किया जा सकता है।"

एआईआर** 2017 **एससी** पृष्ठ 660, **मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार विचार व्यक्त किया:–

"20–.........रतन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1965 एससी 444 में, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने बहुमत के पक्ष से विचार व्यक्त करते हुए कहा:–

"यह अधिनियम दंड विज्ञान के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह इस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक विधि का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के बजाय उसे सुधारना अधिक है। मोटे तौर पर, अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उस आयु से ऊपर के अपराधियों, और उन अपराधियों के बीच अंतर करता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और वे जो हलके अपराध के दोषी हैं। जबकि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों में विहित शर्तों के अधीन उन्हें भर्त्सना के बाद या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का पूर्ण विवेक दिया गया है, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को एक निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वह उन्हें कारावास की सजा न दे जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि मामले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

की परिस्थितियों को देखते हुए; जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र शामिल है, उनके मामले पर अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन विचार करना वांछनीय नहीं है।"

जहाँ तक दोषसिद्धि वाले भाग का प्रश्न है, मुझे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या दुर्बलता नहीं मिली है, लेकिन उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता–अभियुक्त नरेंद्र सिंह और पप्पू को प्रदान दंड में संशोधन अपेक्षित है।

निम्नलिखित संशोधनों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है:–

विचारण द्वारा अभियुक्त–अपीलकर्ता नरेंद्र सिंह और पप्पू की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। अपीलकर्ता–अभियुक्त नरेंद्र सिंह और पप्पू की सजा को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उन्हें उ.प्र. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाता है और उन्हें इस शर्त पर परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है कि वे आज से दो वर्ष तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखेंगे और विचारण न्यालय के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्र सहित 40,000/– रुपये प्रत्येक के दो जमानत प्रस्तुत करेंगे और इस आशय का एक वचन पत्र भी देंगे कि वे आज से दो वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे।

ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यदि यह सिद्ध होता है, तो अपीलकर्ता–नरेंद्र सिंह और पप्पू को अवर न्यायालय द्वारा निर्देशित दंड भुगतना होगा। पूर्वोक्त बंधपत्र अपीलकर्ताओं द्वारा आज से दो माह के भीतर अवर न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाएंगे।

अनुपालन हेतु इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को भी भेजी जाए।

अवर न्यायालय का अभिलेख अवर न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(न्यायमूर्ति बृजराज सिंह)

19 मार्च, 2026

सचिन

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।